

an>

Title:Need for appropriate guidelines for the citizens to show respect towards National Anthem in view of recent incident in a theatre in Mumbai.

अं. किरिट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मुंबई में कुर्ला पीवीआर सिनेमा में राष्ट्रगान के अवमान की जो घटना घटी है, उसके प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे यहां जो कानून है, The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971, it categorically states that whenever the National Anthem is sung or played, the audience shall stand in attention. दो दिन पहले उस सिनेमाघर में कुछ लोगों ने राष्ट्रगान का अवमान किया, खड़े नहीं हुए। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि उस समय पर जो थियेटर में बाकी दर्शक थे, उन्होंने उस परिवार के प्रति एक विंता व्यक्त की। मैं इसके द्वारा संसद और गृह मंत्रालय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि पूरे देश में नागरिकों में राष्ट्रगान के प्रति प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य और जिम्मेदारी है, उसके प्रति जनजागृति लानी चाहिए और राष्ट्रगान के समय खड़े होकर सम्मान करना चाहिए, यह भाव पैदा करना चाहिए। ... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER:

Shri Bhairon Prasad Mishra,

Kunwar Pushpendra Singh Chandel and

Shri Gajendra Singh Shekhawat are permitted to associate with the issue raised by Dr. Kirit Somaiya.